SKILL COUNCIL FOR MINING SECTOR - SCMS
कौशल परिषद खनन क्षेत्र

N·S·D·C
National Skill Development Corporation

पोकेट डायरी

व्यक्तिगत जानकारी

नाम : ....
पद : ....
बी फॉर्म नं. : ....
विभाग : ....
निवास : ....
: ....
....
ड्राइविंग लाइसेंस नं. : ....
वाहन संख्या : ....
ब्लड ग्रुप : ....
पहचान चिन्ह : ....
आपात कालीन संपर्क : श्री ....
फोन (कोड सहित) : ....
विशेष रोग : हृदय रोग / रक्तचाप(उच्च / निम्न) / मधुमेह

डोजर ऑपरेटर के लिए सुरक्षित कार्य करने की विधि

- ✓ प्रत्येक शिफ्ट के प्रारम्भ में ऑपरेटर स्वयं मशीन को चेक करेगा एवं निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा।

  अ) सभी चेतावनी यंत्र कार्य कर रहे हों।

  ब) अगर मशीन को रात्रि में चलाना हो तो उसकी सभी लाईट चलाकर चेक कर लें
- ✓ उपरोक्त चेक की गई सभी बातों का विवरण डोजर के लिए रखी गई लॉग बुक में दर्ज करेगा।
- ✓ डोजर ऑपरेटर अपनी केबिन साफ रखेगा ताकि उसको बाहर साफ दिखाई दे।
- ✓ डोजर के उपर चढ़ने वाली सीढ़ी एवं अन्य भागों को ग्रीस आइल या टूल आदि से मुक्त रखेगा।
- ✓ अगर कोई व्यक्ति डोजर के स्विंग सर्कल क्षेत्र में हो तो डोजर को नहीं चलायेगा।

- ✓ ऑपरेटर डोजर को भरी हुई गाड़ी पर से स्विंग नहीं करायेगा।
- ✓ मशीन को बंद करने से पूर्व डोजर के बकेट को लेवल ग्राउण्ड पर रखेगा।
- ✓ मैनेजर द्वारा अधिकृत मेकेनिक व हेल्पर के अलावा ऑपरेटर किसी अनाधिकृत व्यक्ति को डोजर पर नहीं चढ़ने देगा और न ही चलाने देगा।
- ✓ डेश बोर्ड पर स्थित सभी लेवल मीटर एवं इण्डीकेटर्स जैसे ऑइल प्रेशर मीटर, आर. पी. एम. मीटर, हवा के दबाव का मीटर, एम्पीयर मीटर, टेम्प्रेचर मीटर आदि चेक करना चाहिए। सही होने पर सीट पर बैठिये तथा डोजर के सब ब्रेक, होर्न, लाईट चेक करिये।

डोजर को चलाना

- ✓ मैनेजर द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही डोजर चलायेगा एवं उसी के चार्ज में रहेगी।
- ✓ ऑपरेटर अपनी मशीन के कार्य की सावधानी के बारे में अपने अधिकारी से मिलकर आवश्यक निर्देश ले लेवें।
- ✓ किसी भी व्यक्ति को बकेट में बैठने की अनुमति नहीं है, इसका ध्यान रखें।
- ✓ ग्रीस करते समय डोजर के बकेट को नीचे जमीन पर ग्राउण्ड लेवल पर रखें।
- ✓ ऑपरेटर ऐसी जगह नहीं जाएगा जहां से पॉवर/इलेक्ट्रिक केबल डोजर की डिगिंग हाईट से 3 मीटर के उपर से गुजरती हो एवं जब तक कि पॉवर कट न हो।
- ✓ डोजर ऑपरेशन ऐसी जगह नहीं करेंगे जिससे डोजर चलाने पर कोई पत्थर इलेक्ट्रिक केबल पर गिर जाए।

- ✓ बकेट भरने के तुरन्त बाद उसे वहां से हटा लेंगे ताकि ज्यादा देर तक लोडेड बकेट लूज माल पर न रहे।
- ✓ लूज जगह में डोजर ऑपरेशन करना हो तो पहले डोजर को मजबूत प्लेटफार्म पर खड़ा करें।
- ✓ जब डोजर से लोडिंग नहीं किया जा रहा हो तो फेस से 20 मीटर या सुरक्षित जगह पर खड़ा करेंगे।
- ✓ अगर एक ही बैंच पर या एक से अधिक बैंच पर एक से अधिक डोजर चलावें तो उनका प्लेसमेंट इस प्रकार करेंगे कि एक डोजर का पत्थर दूसरी पर ना जा गिरे।
- ✓ डोजर से लोडिंग करते समय जैसे ही डम्पर सही स्थिति में लग जाये, हॉर्न दीजिये तथा फिर डम्पर सही ढ़ंग से इस प्रकार पूरा भरें कि डम्पर से माल इधर उधर न बिखरे। माल भर जाने की सूचना हॉर्न बजाकर देवें।

- ✓ यदि डोजर में खराबी हो जाये तो इसकी सूचना तुरन्त मैकेनिक व अधिकारी को दें।
- ✓ शिफ्ट समाप्त होने पर अपनी सीट से उठने के पहले डोजर को फेस से थोड़ा हटा लें तथा बकेट व मशीन को लेवल व मजबूत जमीन पर रखें।

<u>आधुनिक यातायात नियम</u>

नियम 1 : विधि :

- ✓ माईन्स मैनेजर की अनुमति के बिना कोई भी वाहन खदान क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा।
- ✓ मैनेजर द्वारा अधिकृत किये व्यक्ति के अलावा कोई भी किसी प्रकार का वाहन नहीं चलायेगा।
- ✓ कोई भी ड्राइवर जो नियमित कार्य पर नहीं हो वो वाहन चलाने से पूर्व मैनेजर से अनुमति लेगा।

नियम 2 : गति सीमा

- ✓ माइन्स क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति 25 किमी प्रति घण्टा की गति से अधिक गति पर वाहन नहीं चलायेगा।
- ✓ जहां रोड़ खराब हो या आगे रास्ता साफ दिखाई न दे या मौसम खराब होने पर ड्रायवर गति को उस सीमा तक कम करेगा कि वाहन पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

नियम 3 : मार्ग का अधिकारी

- ✓ सभी ड्राइवर अन्य वाहन को अपने दांई ओर साईड देंगे।
- ✓ सभी ड्राइवर इमरजेंसी वाहन जिस पर कि लाल लाईट लगी हुई हो को पहले आगे निकलने के लिए रास्ता देंगे।
- ✓ हल्के वाहन को भारी वाहन के आगे निकलने के लिए रास्ता देंगे।
- ✓ चालक अपने वाहन को सुरक्षित रखते हुए पीछे के वाहन को आगे निकलने के लिए रास्ता देंगे।

नियम 4 : पार्किंग एवं वाहन खड़ा करना

- ✓ ड्राइवर अपने वाहन को इस प्रकार खड़ा करे जिससे अन्य वाहन को चलाने में अवरोध पैदा न हो।
- ✓ ड्राइवर अपने वाहन को मोबाईल वाहन के 30 मीटर परिधि क्षेत्र में या डोजर के स्विंग सर्कल क्षेत्र में ओपरेटर की अनुमति के बिना खड़ा नहीं करेगा।
- ✓ ड्राइवर अपने वाहन को किसी अन्य वाहन के पीछे या आगे खड़ा नहीं करेगा।
- ✓ वाहन को चलाने से पूर्व ड्राइवर यह सुनिश्चित कर ले कि आगे रास्ता साफ है।
- ✓ हल्के वाहन के ड्राइवर अपने वाहन को पार्किंग करते समय निम्नलिखित ध्यान रखें :
    - वाहन का इंजन बंद हो।
    - वाहन फर्स्ट या रिवर्स गियर में छोड़े।
    - वाहन के हेण्ड ब्रेक लगायें।
    - भारी वाहन के आगे या पीछे खड़ा न करें।

- डोजर के 30 मी. परिधि क्षेत्र में खड़ा न करें।
- अगर किसी भी कारण वाहन को प्रतिबंधित क्षेत्र या डोजर के स्विंग क्षेत्र में खड़ा करना पड़े तो इसकी सूचना संबधित ऑपरेटर को अवश्य दें।
- अगर वाहन ढ़लान या चढ़ाई पर खड़ा करना पड़े तो पहिये के आगे पीछे स्टोपर जरूर लगायें।

नियम 5 साधारण बातें

✓ वाहन को ऑपरेट करने से पूर्व यह जांच लें कि वाहन हर प्रकार से माइन्स में चलने योग्य है।

✓ वाहन को इलेक्ट्रिक केबल, एयर होज पानी के पाईप पर तब तक न चढ़ायें जब तक कि वो पूरी तरह सुरक्षित न हो।

✓ वाहन के अंदर बिना अनुमति के किसी और व्यक्ति को न बैठायें।

✓ वाहन में सीट बैल्ट हो एवं परिचालन के समय इसे पहनकर रखें।

- ✓ कोई वाहन ब्रेकडाउन हो तो लाल बत्ती जलती रहे।
- ✓ रात्रि में सामने से वाहन आने पर डिपर दें।
- ✓ रात्रि में चलने वाले वाहन के लिये यह सुनिश्चित करें कि इसकी हैड लाईट, डिपर, बैकलाईट चालू स्थिति में हो।
- ✓ सभी पार्क किये गये वाहन को चलाने या आगे बढ़ाने के पूर्व एक हॉर्न देवें और यह सुनिश्चित करें कि इसके आस पास कोई व्यक्ति अथवा अवरोध नहीं है।
- ✓ ऑपरेटर स्वयं वाहन की सफाई करें एवं रेडियेटर में पानी का लेवल व टायर में हवा के प्रेशर एवं डीजल की स्वयं जांच करेगा।
- ✓ डम्पर इस प्रकार भरा जाए कि पत्थर ऑवर हैंग न हो अगर कोई पत्थर या अन्य जो कि 1.2 मीटर से ज्यादा बाहर हो उस पर लाल बत्ती या लाल झण्डी लगी रहे।

- ✓ ड्राइवर रिवर्स लेते समय या किसी भी वाहन को ओवर टेक के लिये रास्ता देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि इसका वाहन सुरक्षित है।

नियम 6 ऑवर टेकिंग

- ✓ ड्राइवर ऑवर टेक करते समय निम्न बातों का ध्यान रखें
  - अ) गति सीमा न बढ़ायें।
  - ब) रास्ता आगे तक क्लियर हो।
  - स) क्रास या जंक्शन साफ दिखाई दे।
- ✓ भारी वाहन ढ़लान पर ऑवरटेक नहीं करेंगे, जब तक कि ऑवरटेक किये जाने वाले वाहन की गति 10 किमी/घण्टा से ज्यादा न हो।
- ✓ डिवाइडर पर वाहन को ओवरटेक करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नियम 7 ट्राफिक सिग्नल

- ✓ ड्राइवर सभी चिन्हों का पालन करेंगे।
- ✓ चेतावनी चिन्हों का हर समय ध्यान रखा जाएगा।

नियम 8 वाहन की स्थिति

- ✓ ड्राइवर/ऑपरेटर अपने वाहन का उपयोग में लेने से पूर्व सुनिश्चित करले कि वाहन सुरक्षित तरीके से चलने के योग्य है एवं इस चेकिंग का रिकार्ड लॉग बुक में रखें।
- ✓ कोई खराबी होने पर इसकी रिपोर्ट अपने अधिकारी को देंवे एवं जब तक ठीक न हो नहीं चलावें।

''जूता, डस्ट, मास्क और हेलमेट।
ये सब देते खतरों को मेट।।''

स्वास्थ्य और सुरक्षा जिम्मेदारियॉ

- ✓ अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और अन्य सहकर्मियों की सुरक्षा के लिये व्यक्ति खुद जिम्मेदार है, इसलिये यह बेहद जरूरी है कि हर कर्मचारी सुरक्षापूर्ण तरीके से कार्य करे, ताकि उसकी व सहकर्मियों की जान खतरे में न पड़ जाये।
- ✓ अगर आप कोई असुरक्षित स्थिति देखें, तो तत्काल वहां सुरक्षात्मक कार्यवाही करें। अगर उसमें सुधार लाना आपकी क्षमता में न हो तो अपने सुपरवाइजर को उस असुरक्षित स्थिति की रिपोर्ट दें।
- ✓ स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारे कार्यों का ही हिस्सा है और आप इनका अनुपालन करें।
- ✓ कोई कार्य शुरू करने से पहले इस बारे में निश्चित हो लें कि आपने वह कार्य समझ लिया हैं। काम सुरक्षित ढ़ंग से करने में हड़बड़ी न करें।
- ✓ एकान्त क्षेत्रों में अकेले काम न करें।
- ✓ धुम्रपान निषेध क्षेत्र में धुम्रपान न करें।

- ✓ प्रतिबंधित क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए सुरक्षित तरीके इस्तेमाल करें। शॉर्टकट न अपनाएं या वर्जित कार्य उपकरणों का प्रयोग नहीं करें।

<u>प्राथमिक उपचार</u>

यदि किसी दुर्घटना की वजह से किसी अंग में चोट लग जाए तो उसका तुरंत उपचार करना चाहिये। कभी कभी छोटे घाव पर यदि दवाई न लगाई जाए तो यह घाव बढ़ सकता है। इसलिये यह जरूरी है कि आप अपने विभाग में रखे प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की तमाम दवाईयों के बारे में एवं उनके इस्तेमाल के बारे में जानकारी रखें।

- ✓ जो कार्य पहले करना है उसे पहले, मगर शान्त चित्त से अतिशीघ्र करें।
- ✓ अगर तेजी से खून बह रहा है तो उसे रोकें।
- ✓ अगर कृत्रिम सांस की आवश्यकता है तो देवें एवं तब तक देते रहें जब तक कि डाक्टर न संभालें।
- ✓ सदमे का उपचार करें।

- ✓ चोट ग्रस्त का हौंसला बढ़ायें एवं चिन्ता में कमी करें।
- ✓ दुर्घटना स्थल पर भीड़–भाड़ को टालें।
- ✓ अत्यधिक उपलब्धि हांसिल करने की कोशिश नहीं करें।
- ✓ जब तक चोट ग्रस्त व्यक्ति ठण्ड की शिकायत न करे, कोट या कंबल नहीं लपेटें।
- ✓ अतिशीघ्र डॉक्टर को सूचना फोन द्वारा करावें व अन्य अधिकारियों को तुरंत खबर करावें।
- ✓ एम्बुलेन्स, स्ट्रेचर आदि से चोट ग्रस्त के परिवहन का इन्तजाम करावें।

''लापरवाही से खाई चोट, पैर लहूलुहान हुआ।
दे दी प्राथमिक चिकित्सा, यह आभार हुआ।।''

अग्नि के प्रकार एवं अग्नि शमन के उपाय

मार्किंग	पहिचान	जलने वाली वस्तु	बुझाने के उपाय
क्लास 'ए' साधारण आग	A	साधारण जलने वाली वस्तु जैसे कपड़ा, पेपर, प्लास्टिक इत्यादि	– पानी – मिट्टी – रेत
क्लास 'बी' तरल पदार्थ की आग	B	ज्वलनशील तरल पदार्थ जैसे डीजल, पेट्रोल, पेट, एल्कोहल, साल्वेंट इत्यादि	– फोम – डी.सी.पी. – सी. ओ.
क्लास 'सी' गैस की आग	C	ज्वलनशील गैस जैसे मिथेन, हाइड्रोजन, एसिटिलिन, कुकिंग गैस, प्रोपेन, ब्यूटेन इत्यादि	– डी.सी.पी. – सी. ओ. – स्प्रे पानी
क्लास 'डी' धातु की आग	D	ज्वलनशील धातु जैसे कापर, एल्युमिनियम, जिंक, पोटेशियम, यूरेनियम, मैग्निशियम इत्यादि	– डी.सी.पी. – मिट्टी – रेत
क्लास 'ई' बिजली की आग	E	धातु बिजली के उपकरण ट्रांसफार्मर , पेनल, केबल इत्यादि यदि बिजली प्रवाहित नहीं है तब आग बुझाने के लिए ए व बी क्लास की आग बुझाने की विधि का उपयोग करें।	– डी.सी.पी. – सी. ओ.

MOST PRECIOUS THING TO COME OUT OF A MINE
IS THE MINER
Always use your COMPLETE Safety Gear,
Never forget your SAFETY TRAINING